(13)

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए00 नं0–41/2003

सुरेश हेम्ब्रम प्रधान एवं अन्य
बनाम
राहिल सोरेन एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
28.11.2011	अपीलकर्त्ता के द्वारा यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक 18.08.2003 को रेभ0 मिस केस नं0–135/2001–02 156/2002–03 मे पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपील वाद मौजा–सिजुआ, थाना–आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–19 का रकवा 90–19–05 धूर जमीन को फौती घोषित करने के संबंध में है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया गया। लिखित बहस में निम्नरूपेण तथ्यों का उल्लेख किया गया है :– अपीलकर्त्ता के द्वारा मौजा–सिजुआ, थाना–आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–19 का रकवा 90–19–05 धूर जमीन को फौती घोषित कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा के भूमिहीन रैयतों के बीच बन्दोवस्ती करने हेतु आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आलोक में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा द्वारा दिनांक 11.06.2003 को प्रतिवेदन दिया गया था। उत्तरार्थी के द्वारा एक आपत्ति आवेदन दिया गया था कि आर0 ई0आर0 केस नं0–39/34–35 के तहत लोदो हेम्ब्रम को वर्णित जमीन प्राप्त हुआ है। उक्त लोदो हेम्ब्रम का पोता ज्योतिन हेम्ब्रम वर्णित जमीन का दखलकार है एवं खजाना दे रहे है। अपीलकर्त्ता के लिखित बहस में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत खजाना रसीद एवं दखल के आधार पर खतियानी रैयत का दावेदार माना नहीं जायेगा। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी,पाकुड़ के द्वारा दखल के बिन्दु पर पारित आदेश को गलत बताया गया है। इनका कहना है कि आपत्तिकर्त्ता (उत्तरार्थी) अन्तिम सेटेलमेन्ट के अनुसार मौजा–सिजुआ के जमाबन्दी नं0–39 एवं 40 के खतियानी रैयत राजाई हेम्ब्रम का हिस्सेदार है न कि लोदो हेम्ब्रम का हिस्सेदार है। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन में लोदो हेम्ब्रम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनका यह भी कहना है कि उत्तरार्थी द्वारा वर्णित जमीन का दाखिल खारिज नहीं किया गया है और न ही जमीन के दखल कब्जे में है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	वर्त्तमान जमीन खतियानी रैयत नारायण किस्कू के नाम से ही चल रहा है। इनके द्वारा अपील को मंजूर करते हुए वर्णित जमीन को भूमिहीन रैयतों के बीच बन्दोवस्ती के संबंध में अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा को प्रस्ताव भेजने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
	उत्तरार्थी के द्वारा अपने लिखित बहस में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये है :–
	उत्तरार्थी ने अपने लिखित बहस में दिया है कि मौजा–सिजुआ, थाना–आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–19 अन्तिम सेटेलमेन्ट में खतियानी रैयत नारायण किस्कू है।
	वर्ष 1934–35 में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 केस नं0–39 / 1934–35 में दिनांक 12.07.1935 को पारित आदेश में नारायण किस्कू को वर्णित जमीन से उच्छेद करते हुए जमाबन्दी नं0–19 के सम्पूर्ण जमीन लोदो हेम्ब्रम उर्फ राजाई हेम्ब्रम, मौजा–सिजुआ, थाना– आमड़ापाड़ा के साथ बन्दोवस्त किया गया है। जिस पर लोदो हेम्ब्रम को न्यायालय द्वारा दखल भी दिलवाया गया है एवं दखलकार है। लोदो हेम्ब्रम के मृत्यू के बाद उनके पुत्र किसून हेम्ब्रम वर्णित जमीन का दखलकार है एवं किसून हेम्ब्रम की मृत्यू के बाद उनके पुत्र ज्योतिन हेम्ब्रम वर्णित जमीन का हिस्सेदार बने है। ज्योतिन हेम्ब्रम का पुत्र नहीं था मात्र तीन लड़की कनकलता, पुष्पलता एवं प्रेमलता जिसमें कनकलता एवं पुष्पलता की घरजमाई शादी दी गई है। ज्योतिन हेम्ब्रम अपने जीवित काल में वर्णित जमाबन्दी नं0–19 के 32–15–06 घुर जमीन उनके अविवाहित पुत्री प्रेमलता हेम्ब्रम को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के रेभ0मिस केस नं0–100 / 94–95 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन पर ही दी गई है।
	दिनांक 09.11.2002 को ज्योतिन हेम्ब्रम की मृत्यू के बाद उनके पत्नी राहिल सोरेन एवं पुत्री कनकलता, पुष्पलता एवं प्रेमलता को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है।
	उत्तरार्थी के द्वारा नियमित लगान दिया जा रहा है एवं जमीन का भोग–दखल करते आ रहे है। अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा बिना सही जांच किये ही प्रतिवेदन दिया गया है।
	अपीलार्थी का कहना कि लोदो हेम्ब्रम एवं राजाई हेम्ब्रम एक ही व्यक्ति है। वर्ष 1966 के वोटर लिस्ट में किसून हेम्ब्रम का पिता लोदो हेम्ब्रम एवं वर्ष 1983 के वोटर लिस्ट में किसून हेम्ब्रम के पिता राजाई हेम्ब्रम अंकित है, जो लोदो हेम्ब्रम एवं राजाई हेम्ब्रम एक ही व्यक्ति है। अन्त में कहा गया है कि वर्णित जमीन लोदो हेम्ब्रम उर्फ राजाई हेम्ब्रम को वर्ष 1935 में बन्दोवस्ती के द्वारा प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

(14)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल लिखित बहस तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सिजुआ, थाना–आमड़ापाड़ा के जमाबन्दी नं0–19 में वर्णित जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 केस नं0–39/1934–35 में दिनांक 12.07.1935 को खतियानी रैयत नारायण किस्कू वगैरह को उच्छेद करते हुए लोदो हेम्ब्रम के साथ बन्दोबस्ती की गई है तथा 21.10.1935 को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा वर्णित जमीन लोदो हेम्ब्रम को दखल भी दिलवाया गया है। वर्णित जमीन में से 32–15–06 धूर जमीन अंचल अधिकारी, आमड़ापाड़ा के प्रतिवेदनानुसार अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पूरक रेभ0मिस वाद सं0–100/94–95 में दिनांक 11.07.1997 के द्वारा उत्तरार्थी नं0–4 प्रेमलता हेम्ब्रम पुत्री स्व0–ज्यातिन हेम्ब्रम के पक्ष में जमीन को दान में देने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि वर्णित जमीन का खतियानी रैयत नारायण किस्कू का दावा वर्षो पूर्व खत्म हो चुका है। इसलिए अपीलार्थी का उत्तरार्थी को खतियानी रैयत नहीं होने के संबंध में आपत्ति बिल्कूल निराधार है। चूंकि उत्तरार्थीगण लोदो हेम्ब्रम का वारिसान है। इसलिए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

12.12.2011

ज्ञापांक 18/ रा०अ० 10/1/2012

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.07 14:50:54 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner